स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

अधिसूचना

ध्यानाकर्षण : समस्त स्वास्थ्य सचिव (राज्य सरकार), सभी राज्य सरकारों के निदेशक (चिकित्सा शिक्षा),मानद चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और प्राचार्य।

जैसा कि आपको ज्ञात है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (याचिकाएं) (सिविल) संख्या (संख्याएं) 267/2017 **दार–उस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद एवं अन्य** दिनांक 09.05.2017 के अपने आदेश में निर्देश दिया है कि:

"स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा संचालित काउंसलिंग में मानद विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे क्योंकि वे अखिल भारतीय स्वरूप के विश्वविद्यालय हैं। ऊपर उल्लिखित मानद विश्वविद्यालयों में धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित मानद विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे।"

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाए और एमबीबीएस तथा बीडीएस पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी मानद विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली अखिल भारतीय कोटा ऑनलाइन काउंसलिंग में उपर्युक्त सीटों को 15.06.2017 तक अनिवार्य रूप से कंट्रीब्यूट किया जाए ताकि न्यायालय की अवमानना न हो। न्यायालय का विस्तृत आदेश एमसीसी की वेबसाइट www.mcc.nic.in पर उपलब्ध है।

आप adgme@nic.in, दूरभाषः 011–23062493, 011–23061110, फैक्स–011–23061907 पर हमसे संपर्क कर सकते है।

एडीजी (एमई)